मनोजकुमार .... बनाम .... राजकुमार

किस्म मुकदमा .... २९५ .... मु. नं0 .... वर्ष 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16/5/18	अपील दर्ज रजिस्टर हो । स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलान्ट को सुना गया । वकील अपीलान्ट ने निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 582 रकबा 0.92 हैक्टर, ख0नं0 583 रकबा 0.77 हैक्टर, ख0नं0584 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता-3 रकबा 1.75 हैक्टर वाके ग्राम कूदन तहसील धोद में अपीलान्ट 1/4 हिस्से का रेकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है । इस भूमि में 1/4 हिस्सा हनुमान पुत्र नाथूराम का था जिससे उसका 1/4 हिस्सा अपीलान्ट ने क्रय कर लिया । जिस पर काबिज काश्त विक्रय दिनांक 11-9-2001 से काबिज चला आ रहा है । विवादित आराजी का खाता संयुक्त रूप से होने से रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलान्ट के कब्जा काश्त की आराजी की सींव नींव तोडकर अपीलान्ट को नुकसान पहुचाने तथा रेकार्ड एवं मौके की स्थिति को परिवर्तित करने पर आमादा है । जिसके लिये अदालत मातहत में दावा पेश कर प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया जिस पर अदालत मातहत ने विधि संगत आदेश पारित न कर केवल विवादित आराजी को प्रार्थी/अपीलान्ट के हिस्से तक की आराजी को विक्रय नहीं करने का आदेश दिया है जबकि अदालत मातहत को इस प्रकार के प्रार्थना पत्र में रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश दिया जाना चाहिये था, जैसा आरएलडब्लू 2011 (1) राज0पेज 69 में स्पष्ट किया है । अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार कर किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट को पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे । बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने अपने	

Web Copy Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	निर्णय में विवादित आराजी में प्रार्थी के हिस्से तक विक्रय नहीं करनें के लिये रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया है ।अदालत मातहत का आदेश अन्तरिम आदेश है । प्रार्थना पत्र का अदालत मातहत में निस्तारण किया जाना शेष है ।अतः हम अपीलान्ट की अपील को इसी स्तर पर अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है। अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में उभयपक्षों को सुनकर प्रार्थना पत्र का 30 दिन में अन्तिम रूप से निस्तारण करें। तक तक उभयपक्ष रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे ।उक्त आदेश 30 दिने तक ही प्रभावी रहेगा ।पक्षकार अदालत मातहत मे नियत पेशी पर उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 16/5/18 (शंकरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	